भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 4116**
25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

**विषयः- राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन**

**4116. श्री यदुवीर वाडियारः**

**क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के अंतर्गत सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राज्यवार और विशेषकर कर्नाटक राज्य में क्या पहल की गई है:

(ख) क्या कर्नाटक, विशेषकर मैसूरु जिले में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए कोई निधि आवंटित की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) कोडागु जिले में किसानों को जैविक तथा प्राकृतिक खेती अपनाने में सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) जलवायु-अनुकूल कृषि तकनीकों के क्रियान्वयन में क्या प्रगति हुई है?

**उत्तर**
**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क): राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) कर्नाटक राज्य सहित देश को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने और पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत राष्ट्रीय मिशनों में से एक राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) है, जो बदलती जलवायु के लिए कृषि को अधिक अनुकूल बनाने हेतु कार्यनीतियों को लागू करता है। प्रतिकूल जलवायु स्थितियों से निपटने के लिए एनएमएसए के तहत कई योजनाएं शुरू की गई हैं। प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाती है। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए समेकित कृषि प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करता है। मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना राज्यों को मिट्टी के स्वास्थ्य और इसकी उत्पादकता में सुधार के लिए जैविक खाद और जैव-उर्वरकों के साथ माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने में सहायता करती है। बागवानी, कृषि वानिकी और राष्ट्रीय बांस मिशन के एकीकृत विकास के लिए मिशन भी कृषि में जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ-साथ मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके फसल विफलता के विरुद्ध एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है।

(ख): मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से कर्नाटक राज्य सरकार को 11807.65 लाख रुपए जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा जिलावार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) कर्नाटक राज्य सहित परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत जैविक खेती को समर्थन दिया जाता है। पीकेवीवाई योजना जैविक किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणीकरण और मार्केटिंग तक संपूर्ण सहायता प्रदान करती है, जिसमें क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। कर्नाटक सरकार ने बताया है कि वर्ष 2015-16 से पीकेवीवाई योजना के तहत कोडागु जिले में 676 किसानों को शामिल करते हुए 500 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 25 नवंबर 2024 को कर्नाटक सहित देश भर में किसानों को प्राकृतिक खेती (एनएफ) अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) को मंजूरी दी।

(घ): जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के समाधान हेतु राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली ने पिछले 10 वर्षों (2014-2024) के दौरान 2900 किस्में जारी की हैं। इनमें से 2661 किस्में एक या अधिक जैविक और/या अजैविक जोखिमों के प्रति सहनशील हैं। चावल गहनीकरण प्रणाली, एरोबिक चावल, चावल की सीधी बुवाई, गेहूं की जीरो टिल बुवाई, सूखे और गर्मी जैसी चरम मौसम स्थितियों के प्रति सहनशील जलवायु अनुकूल किस्मों की खेती; चावल के अवशेषों का इन-सीटू समावेश जैसे जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों आदि का विकास और प्रदर्शन किया गया है।

*****